

14-5-22

पत्रावली आज पेश हुई।

वादीनीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद वादीनीगण एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई। फिर भी इनमें से कोई हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर होता है कि वादीनीगण एवं उनके अधिवक्ता इस प्रकरण में कोई रूची नहीं ले रहे हैं।

अतः वादीनीगण का वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।



~~पत्रावली आज पेश हुई।~~

